न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
73 / 2014	17 / 10 / 2014	17 / 12 / 2025

1. शिवकुमार पुत्र नंदलाल जाती महाजन
2. बालमुकुंद पुत्र नंदलाल जाती महाजन खतौली मृतक जरिय का मुकाम
2/1 रमाकांत पुत्र बालमुकुंद जाती महाजन
2/2 राजनिम पुत्र बालमुकुंद जाती महाजन
2/3 रेनू पुत्री बालमुकुंद जाती महाजन
2/4 मिलन पुत्री बालमुकुंद जाती महाजन
3. चंद्रकांता पुत्री नंदलाल जाती महाजन
4. शकुंतला पुत्री नंदलाल जाती महाजन
5. संतोष पुत्री नंदलाल जाती महाजन
6. तारा देवी पत्नी स्व. रविंद्र कुमार जाति महाजन

वादीगण

बनाम

1. नरेंद्र पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड़
2. द्वारका भाई पुत्री ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी गणेशखेडा उर्फ लाडाहाली तह0 पीपल्दा जिला कोटा जिला राज0।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री लेखराज धाकड एड0।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के शामलाती खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नं. 383 रकबा 1.40 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम वाके माल गणेशखेड़ा पटवार क्षेत्र गणेशखेड़ा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) में स्थित है जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहां गया है। विवादित आराजी वादीगण की शामलाती खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई विधिक संबंध नही है। वादीगण की विवादित आराजी के लगवा प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की भूमि खसरा नं 384 स्थित है। जिसकी आड में प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर दिनांक 25–5–2014 को बिना किसी आधार व अधिकार के वादीगण की आराजी की पश्चिम दिशा में स्थित मेड को नष्ट कर करीब 2 बीघा आराजी को हांक दिया और कब्जा कर लिया जिसका की प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार हक हकूक नहीं है। विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रुप से 2 बीघा भूमि पश्चिमी दिशा पर अतिक्रमण करते हुए हांक दिया है तथा प्रतिवादीगण से कई बार वादीगण के निवेदन करने पर भी अतिक्रमण नही हटा रहे है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किये गये 2 बीघा भूमि पश्चिमी दिशा से बेदखल करवाये तथा विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करें। वादीगण शांतिप्रिय व शरीफ व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण आपराधिक प्रवृति के झगडालू व्यक्ति है जो ताकत के बल पर वादी के खाते की वाद में वर्णित विवादित आराजी को कब्जा कर हडपना चाहते है। वाद कारण दिनांक 25–5–2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 2 के विवादित आराजी से कब्जा हटाने व भूमि को नहीं हांकने की कहने पर तथा प्रतिवादीगण 1 ता 2 द्वारा कब्जा भूमि से नही छोडने तथा वादीगण को जान से मारने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरुद्ध इस

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

आशय की सादर डिक्री फरमाई जावे कि वादीगण के शामलाती खातेदारी की कृषि आराजी ख.नं. 383 की रकबा 1.40 है. किस्म नहरी प्रथम वाके माल ग्राम गणेशखेडा पटवार क्षेत्र गणेशखेड़ा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) में स्थित भूमि मे से पश्चिम दिशा की करीब 2 बीघा यानि 0.32 है. भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर मेढ़ बन्दी की जाकर कब्जा भूमि का वादीगण को सम्भलाया जावे।

वादी की ओर से वादपत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण की ओर से लेखराज धाकड एड0 ने वकालतनामा पेश किया। वादी कम 2 के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया वादी कम 2 के वारिसान का संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण को जवाब में उचित अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाकर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 रमाकान्त, पी0डब्ल्यू0 2 घनश्याम, पी0डब्ल्यू0 3 नरेश सोनी पेश किए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गणेशखेडा सं0 2067–70 खाता सं0 30 प्रदर्श पी–1, नकल जमाबन्दी ग्राम गणेशखेडा 2067–70 खाता सं0 31 प्रदर्श पी–2 पेश किए। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्ष बहस सुनी गई वादी द्वारा ग्राम गणेशखेड़ा पटवार हलका गणेशखेडा तहसील पीपल्दा स्थिति खसरा नंबर 383 रकबा 1.40 हेक्टेयर भूमि के 0.32 हेक्टेयर से प्रतिवादी को बेदखल करने का अनुतोष मांगा है धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बेदखली कराने हेतु वादी को निम्न बिंदुओं पर साक्ष्य द्वारा साबित करना होता है

1. बेदखली करने से पूर्व वादी का वेद कब्जा था
2. अवैध या गलत तरह से किया गया बेदखली
3. बेदखली की दिनांक और मियाद का बिंदु
4. वादी के कब्जे की प्रकृति एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव
5. विधि की सम्यक प्रक्रिया से अन्यथा वादी की बेदखली

वादी 2 बीघा पर हुई कथित बेदखली से पूर्व विवादित आराजी पर खुद का कब्जा साबित करने में असफल रहा है इसके समर्थन में गिरदावरी, सिंचाई का, बिजली बिल ,कृषि फार्म हेतु इत्यादि कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः यह बिंदु विरुद्ध वादी तय किया जाता है प्रतिवादी द्वारा वादी के वैद्य कब्जे को किस प्रकार समाप्त कर बेदखल किया गया वादी द्वारा स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया गया। वादी द्वारा बेदखली की दिनांक अंकित की है परंतु कैसे की गई इस प्रकार साक्ष्य समर्थित नहीं है वादी का वाद इस धारा के अंतर्गत सफल हो सके इसके लिए उसे प्रमाणित करना पड़ेगा की प्रतिवादी अतिक्रमी है । (शांतिलाल बनाम मोहनलाल 1968 आरआरडी 267, 1970 आरआरडी 179) यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो भूमि धारी कि वैध अनुमति बिना भूमि पर कब्जा बनाए रखते हैं। (1965 आरआरडी 1, 1974 आर0आर0डी0 117) वादी केवल नामांतरण की प्रविष्टि के आधार पर वाद में दादरसी नहीं ले सकता । (1969 आर0आर0डी0 90, 1972 आरआरडी 252) धारा 183 के अंतर्गत वाद काश्तकार के खिलाफ दावा नहीं लाया जा सकता (संतुराम बनाम श्रीमती ठाकरी 1987 आरआरडी 406) वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से खसरा नंबर 383 तथा प्रतिवादी के खसरा नंबर 384 सीमावर्ती अर्थात एडज्वाइनिंग खसरे हैं ऐसे में प्रकरण सीमा विवाद से संबंधित प्रतीत होता है अतः वादी सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढ़ी के माध्यम से स्वयं की सीमाओं को सुरक्षित व विवादरहित करके अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र व विधिक हकदार है उक्त विवेचना व नजीरों के आधार पर बेदखली के वाद के लिए आवश्यक और पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में दावा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो। फैसला करें जिला सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
73 / 2014	17 / 10 / 2014	17 / 12 / 2025

1. शिवकुमार पुत्र नंदलाल जाती महाजन
2. बालमुकुंद पुत्र नंदलाल जाती महाजन खतौली मृतक जरिय का मुकाम
2/1 रमाकांत पुत्र बालमुकुंद जाती महाजन
2/2 राजनिम पुत्र बालमुकुंद जाती महाजन
2/3 रेनू पुत्री बालमुकुंद जाती महाजन
2/4 मिलन पुत्री बालमुकुंद जाती महाजन
3. चंद्रकांता पुत्री नंदलाल जाती महाजन
4. शकुंतला पुत्री नंदलाल जाती महाजन
5. संतोष पुत्री नंदलाल जाती महाजन
6. तारा देवी पत्नी स्व. रविंद्र कुमार जाति महाजन

वादीगण

बनाम

1. नरेंद्र पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड़
2. द्वारका भाई पुत्री ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी गणेशखेडा उर्फ लाडाहाली तह0 पीपल्दा जिला कोटा जिला राज0।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री लेखराज धाकड एड0।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढ़ी के माध्यम से स्वयं की सीमाओं को सुरक्षित व विवादरहित करके अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र व विधिक हकदार है उक्त विवेचना व नजीरों के आधार पर बेदखली के वाद के लिए आवश्यक और पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में दावा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 17.12.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा